

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा सं.

(i) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल
उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(vi) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण
निगम लि० (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक 16 अगस्त, 2017

विषय:-उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-791 / XVII-5 / 16-09(17) / 2004 TC-I दिनांक 22 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश संख्या-782 / XVII-5 / 16-09(17) / 2004 TC-I दिनांक 19 जुलाई, 2017 के संबंध में उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में प्रायोजित आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में नियोक्ता विभागों द्वारा यह जिज्ञासा की जा रही है कि जिन महिला आउटसोर्स कार्मिकों को प्रसूति अवकाश का वेतन दिया जा रहा है क्या उन्हें प्रोत्साहन भत्ता भी देय होगा।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में प्रायोजित महिला कार्मिकों, जिन्हें मानदेय का भुगतान यथा प्रक्रिया के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा किया गया है अथवा किया जा रहा है, को प्रसूति अवकाश उपभोग की अवधि का प्रोत्साहन भत्ता भी उपरोक्त शासनादेशानुसार देय होगा।

महोदय
(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: / XVII-5 / 16-09(17) / 2004-TC-I तद् दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव-मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- निजी सचिव- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- आदेश फाईल।

आज्ञा से

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।